DELHIVERY

Date: August 09, 2026

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001 India

Scrip Code: 543529

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051, India
Symbol: DELHIVERY

Sub: Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2026 ("Financial Results")

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the copies of newspaper clippings containing the publication of the Financial Results of the Company. The Financial Results were duly approved by the Board of Directors at its meeting held on Saturday, August 08, 2026.

The details of the newspaper publications are as follows:

1. Financial Express (All India editions in English language) - published on August 09, 2026; and
2. Jansatta (Delhi edition in Hindi (vernacular) language) - published on August 09, 2026.

This disclosure will also be hosted on the website of the Company at www.delhivery.com.

Please take the above information on your record.

Thank you.

Yours sincerely,
For Delhivery Limited

Madhulika Vipin Rawat
Digitally signed by Madhulika Vipin Rawat
Date: 2026.08.09 14:26:16 +05'30'

Madhulika Rawat
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No: F8765

Encl.: As above

COOPERATIVE BANKS ALLOWED DOORSTEP BANKING

Cooperatives should look at RBI differently, says Shah

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, August 8

AMIT SHAH, COOPERATION MINISTER

When it comes to money, no other segment is as safe for lenders as small borrowers

Whenever we have put a step forward with confidence, RBI has proactively helped us

UNION MINISTER OF Cooperation Amit Shah on Saturday urged urban cooperative banks (UCBs) to look at the RBI from a "different viewpoint," underlining that the central bank has "proactively helped" the sector in recent times.

Speaking at the inauguration of a new office building of the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation (NUCFDC) at the BSE in Mumbai, Shah also said that when it comes to the safety of money, no other segment is as safe for lenders as small borrowers.

"I know of your experience till now. RBI looks at you from a particular viewpoint, and UCBs also look at RBI from a different viewpoint. But we have to come out of it," Shah told the audience comprising executives from over 1,400 UCBs and other stakeholders.

"My five years' experiences as the Union Cooperatives Minister suggests that whenever we have put a step forward with confidence, RBI has proactively helped us," he added, listing out the relaxations delivered by RBI.

Among other aspects, RBI has liberalised branch opening, allowed UCBs to offer doorstep banking, made it possible for them to issue demand drafts and life certificates, and also appointed a dedicated nodal officer just to look into the affairs of the UCBs, which have over ₹6 lakh crore of deposits, he said.

Shah, who also handles the Home portfolio, said a lot of aspects have been resolved with the help of the RBI, and also welcomed the raising of limits on gold loans and permitting one-time settlements for UCBs.

In a statement on developmental and regulatory policy accompanying the bi-monthly policy review announced on Wednesday, RBI Governor Sanjay Malhotra announced a move forward on the 'on-tap' licensing of UCBs, which will end a two-decades long pause in the matter.

In the past, instances of lax governance practices at UCBs, which are perceived to be controlled by political heavyweights, have led to instances of some lenders going down, leading to higher systemic caution.

Recalling his experience of chairing a UCB in Gujarat, Shah said the small borrower segment is the safest for lenders and pointed out a scheme of offering ₹2.5 lakh of loans without any collateral by his bank. He said the management had doubts, but the repayment rate including interest is over 99% under the scheme, and the overall lending offered has been doubled as well.

Shah also announced that NUCFDC, which works as an umbrella body for the sector, will soon be moving its head office to Maharashtra from New Delhi, and added that 449 of such lenders are in the state and 70% of the entities are from Maharashtra, Gujarat, Goa and Karnataka.

He said the body has only 690 members as of now, and urged the management to lower membership fees and ensure that all 1,400 UCBs avail the membership.

A lot of advantages will accrue to a lender by joining a grouping like NUCFDC, Shah said, adding that the umbrella organisation can give technical know-how, help with compliances, and offer the best in cyber security solutions.

5% annual hike, pay parity among West Bengal 7th pay panel's terms

PRESS TRUST OF INDIA
Kolkata, August 8

PROPOSED REVISION

- The panel looks to propose a comprehensive revision of pay, allowances and service conditions of employees
- Raising annual increments from 3% to 5% proposed
- It also seek to introduce a mechanism for dearness allowance based on the Consumer Price Index for industrial workers
- The promotion and appraisal policy is proposed to be reviewed to improve efficiency

PAY PARITY WITH employees under Central Pay Commission, restoration of commuted pension after 11 years and raising annual increments from 3 to at least 5% are among the terms of reference of West Bengal's seventh pay commission.

The panel constituted recently looks to propose a comprehensive revision of pay, allowances and service conditions of state government employees and changes in career progression, retirement and healthcare benefits.

It seeks to examine the existing pay structure, allowances, pension, gratuity, and other retirement benefits, and to rationalise them in light of prevailing economic conditions and inflation.

A senior state government official said the proposals cover "all major aspects of the service conditions of government employees" and aim to address anomalies in the existing system.

"It is intended to bring greater rationalisation to the pay and service structure while taking into account present economic realities and the requirements of government employees," the officer said.

Among the terms of reference of the seventh pay commission is to bring parity in the pay levels of state government employees with those under the Central Pay Commission, to achieve all-India equivalence and reduce litigation arising from differences in pay structures.

The proposed terms of reference also seek to introduce a mechanism for dearness allowance based on the Consumer Price Index for Industrial Workers and recommend a standing order for its disbursement.

House rent and transport allowances are proposed to be reviewed in line with the Central Pay Commission, while children's education allowance, hostel subsidy and other existing allowances are also to be examined for rationalisation and revision.

The promotion and appraisal policy is proposed to be reviewed to improve efficiency, accountability and responsibility in government offices.

Stakeholder meet on new industrial policy on Tuesday

THE WEST BENGAL government is likely to finalise its new industrial policy soon, with Industry Minister Tapas Roy saying on Saturday that a meeting with industry stakeholders will be held on August 11 before the policy is placed before a Group of Ministers (GoM) and subsequently the Cabinet.

Roy said the stakeholder consultation would provide industry representatives an opportunity to offer suggestions before the policy moves into the final stages of approval.

Meanwhile, the West Bengal government is looking at reforms in land laws to make it easier for industries to hold and utilise larger parcels of land, while also seeking to simplify the acquisition process where recorded *'bargadars'* (sharecroppers) are no longer engaged in cultivation, a senior official said on Saturday. —PTI

FSSAI warned Diageo over whisky's 'matured in American oak' claim

ADITYA KALRA
New Delhi, August 8

REGULATORY CRACKDOWN

- FSSAI on August 2 announced it had prohibited sales of Diageo's Royal Challenge Whisky
- It has banned Inbrew for using artificial flavouring rather than proper ageing and ingredients

- Scrutiny has hit India's **$40-bn** alcohol industry
- Diageo said it was actively engaging with FSSAI to address labelling queries

FOOD SAFETY REGULATOR warned liquor giant Diageo that it misleadingly claimed one of its top-selling whiskies was "matured in American oak casks," when most of the product had not been matured, a confidential government notice shows.

The previously unreported July 20 notice from the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), reviewed by *Reuters*, reveals another complaint by the regulator, in addition to an assertion of improper flavouring that prompted the authorities to ban some spirits this month.

The FSSAI on August 2 announced it had prohibited sales of Diageo's Royal Challenge Whisky made in Madhya Pradesh and some whisky and rum brands made by Diageo and Inbrew for using artificial flavouring, such as whisky and rum flavours, rather than proper ageing and ingredients.

The industry says it complies with the law.

The FSSAI did not respond to *Reuters* queries on the assertions about maturing.

Diageo India, the commonly used name for the local unit United Spirits, told *Reuters* on Saturday it remains committed to the highest quality standards and was "actively engaging with FSSAI to address their queries on labelling."

The crackdown on the country's $40 billion alcohol industry, which has triggered some legal challenges, comes as the regulator increases its scrutiny of liquor companies, energy drink makers like PepsiCo and food producers over what it contends are incorrect labelling and weak compliance.

The FSSAI told Diageo in its July 20 notice that the whisky's label says it is "matured in American oak casks," but "your product has a grain neutral spirit as second ingredient after demineralised water, and major portion is non-matured spirit."

"The complete alcohol is not matured in wood cask as claimed on the label, and therefore misleading the consumer," it said. "Any claim regarding age of the spirit used in the product must refer to the youngest spirit used in the mix, not the oldest." —REUTERS

DELHIVERY

Delhivery Limited

CIN: L63090DL2011PLC221234

Regd. Office: N24-N34, S24-S34, Air Cargo Logistics Centre-II, Opposite Gate 6 Cargo Terminal, IGI Airport, New Delhi-110037, India

E-mail: corporateaffairs@delhivery.com, **Website:** www.delhivery.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (CONSOLIDATED AND STANDALONE) FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026

The consolidated and standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2026 (**"Financial Results"**) as reviewed by the Audit Committee, have been approved by the Board of Directors at its meeting held on August 8, 2026.

The financial results for the Quarter ended June 30, 2026, are available on the BSE Limited website (**www.bseindia.com**), the National Stock Exchange of India Limited website (**www.nseindia.com**) and on the Company's website (**https://www.delhivery.com/company/investor-relations**) and can also be accessed by scanning the QR code.

For more information, please scan:

For and on behalf of the Board of Directors of **Delhivery Limited**

Sd/-

Sahil Barua

Date: August 8, 2026

Place: Gurugram

Managing Director and Chief Executive Officer

DIN: 05131571

एक्म्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

Akums

सीआईएन: L24239DL2004PLC125888

पंजीकृत कार्यालय: 304, तीसरी मंजिल, मोहन प्लेस, एल.एस.सी., ब्लॉक-सी, सरस्वती विहार, नई दिल्ली-110034 (भारत)

कॉर्पोरेट कार्यालय: एक्म्स हाउस, प्लॉट नंबर 131 से 133, ब्लॉक-सी, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, दिल्ली-110083

फोन: +91-11-69041000, फैक्स: +91-11-27023256, ई-मेल: akumsho@akums.net, वेबसाइट: www.akums.in

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित (स्टैंडअलोन और समेकित) वित्तीय परिणाम

एक्म्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की संस्तुति पर, 8 अगस्त, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित (स्टैंडअलोन और समेकित) वित्तीय परिणामों को स्वीकृति दे दी है।

सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ संपूर्ण वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटें www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी पोस्ट किए गए हैं और इन्हें www.akums.in/investors/financial-report/ से एक्सेस किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए, स्कैन करें:

एक्म्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के लिए

दिनांक: 8 अगस्त, 2026 | हस्ता./- संजीव जैन, प्रबंध निदेशक | हस्ता./- संदीप जैन, प्रबंध निदेशक

स्थान: दिल्ली

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

Chola

कॉर्पोरेट कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सी54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट गिंडी, चेन्नई - 600032 तमिलनाडु शाखा कार्यालय: द्वितीय तल प्लॉट-3, इलीट से गोविंद चौराहा रोड इलीट चौराहा के पास झांसी यूपी-284001

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग नोटिस

आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता / बंधककर्ता को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके खिलाफ प्रतिभूतिकरण और वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही शुरू की है और आपको पंजीकृत डाक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस भेजा गया था। उधारकर्ता / उधारकर्ताओं के लिए देय राशि बिना वितरित किए वापस आ गया है। इसलिए, आपको इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस लेने और उक्त खाते के खिलाफ उल्लिखित बकाया ऋण राशि का भुगतान ब्याज के साथ करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विफल होने पर कंपनी भविष्य के ब्याज और लागतों के साथ अपने बकाए को वसूलने के लिए नीचे उल्लिखित प्रतिभूति को लागू करके अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करके आपके खिलाफ आगे बढ़ेगी। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह नोटिस कंपनी के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया गया है।

अनु. क्र.	ऋण खाता संख्या एवं उधारकर्ता/व्यक्तियों का नाम और पता	ऋण राशि (रु.)	मांग नोटिस की तिथि और बकाया राशि
1.	ऋण खाता संख्या: HE01XBZ00000036803 & BLTLJHAN000007069331 1. अरविंद कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम प्रताप गुप्ता (आवेदक), 2. कल्पना गुप्ता पत्नी अरविंद कुमार गुप्ता (सह-आवेदक), क्रमांक 1 एवं 2 का पता: निवासी- 330, ददियापुरा, झांसी, उत्तर प्रदेश-284001, 3. मेसर्स गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (सह-आवेदक), (इसके स्वामी श्री अरविंद कुमार गुप्ता द्वारा प्रतिनिधित्व), निवासी-पंचकुइयाँ मार्केट, गुसाईपुरा, झांसी, उत्तर प्रदेश-284001.	रु. 45,00,000/-	29/07/2026 दिनांक 24/07/2026 तक ऋण खाता संख्या HE01XBZ00000036803 के अंतर्गत देय राशि रु. 42,97,524/- तथा दिनांक 23/07/2026 तक ऋण खाता संख्या BLTLJHAN000007069331 के अंतर्गत देय राशि रु. 5,98,091/- एवं उक्त राशियों पर उसके पश्चात लागू ब्याज सहित

संपत्ति का विवरण: संपत्ति क्रमांक-1. दुकान संख्या 7ए एवं 7बी, जो बेसमेंट में निर्मित है, मोहल्ला गुसाईपुरा, झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुल क्षेत्रफल 226.12 वर्ग फुट। सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: प्रदीप जैन का मकान, पश्चिम: 8.6 फीट चौड़ा कॉमन मार्ग, उत्तर: विक्रेताओं की दुकान, दक्षिण: विक्रेताओं का मकान

संपत्ति क्रमांक-2. पुराना मकान संख्या 53 एवं नया मकान संख्या 81 का भाग, जो एक व्यावसायिक दुकान है, मोहल्ला गुसाईपुरा, झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुल क्षेत्रफल 124.93 वर्ग फुट। सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: कल्पना अग्रवाल का मकान, पश्चिम: 2.01 मीटर चौड़ा कॉमन मार्ग, उत्तर: 2.53 मीटर चौड़ा कॉमन मार्ग, दक्षिण: कमलापत अग्रवाल की दुकान

दिनांक: 09/08/2026, स्थान: झांसी — हस्ते/- (प्राधिकृत अधिकारी), चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालय: नंबर 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015

शाखा कार्यालय: द्वितीय तल, 212बी और 212सी, प्लॉट नंबर-टीसी/जी-2/2 और टीसी/जी-5/5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र.-226010. ईमेल: auction@hindujahousingfinance.com

जेडआरएम - उमेश सिंह चौहान - 9838202386 ● आरआरएम - पुष्कर अवस्थी - 9453043399

आरएलएम - ब्रजेश अवस्थी - 9918301885

परिशिष्ट- IV-ए [नियम 8 (6) के प्रावधान का संदर्भ लें] ई-नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट-IV A) [नियम 8(6)]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

जनसामान्य एवं विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई - 600015 में है और इसका एक शाखा कार्यालय: द्वितीय तल, 212बी और 212सी, प्लॉट नंबर टीसी/जी-2/2 और टीसी/जी- 5/5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र.-226010 में है, कर्जदारों और गारंटरों से प्रतिभूत लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर 'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री वेबसाइट: https://www.bankeauctions.com तथा auction@hindujahousingfinance.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	: 08.09.2026, 11:00 बजे से 14:00 बजे तक
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	: 09.09.2026, 17:00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि/समय	: 10.09.2026, 11:00 बजे से 13:00 बजे तक

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या तथा कर्जदार(रों)/ सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि तथा राशि तिथि तक कुल बकाया	कब्जे की तिथि तथा प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1.	UP/LKN/LUKN/A000002521 श्री विक्रम विक्रम (कर्जदार), मकान नंबर 27, डूडा कॉलोनी, फैजाबाद रोड, लखनऊ 227105; श्रीमती [illegible] देवी (सह-कर्जदार), चिनहट हरदासीखेड़ा, डूडा कॉलोनी, लखनऊ 226028	31-जनवरी-2025 और रु. 6,59,500/- / 23/01/2025 को रु. 6,59,500/-	08-07-2026 भौतिक कब्जा	रु. 1056000/- / रु. 105600/- / रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरण: खसरा नंबर 1073 मिनजुमला का हिस्सा, जो गाँव अमराई गाँव शहीद भगत सिंह, लखनऊ (सब-रजिस्ट्रार 3, लखनऊ क्षेत्र) में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट है। दिशा और सीमाएँ: पूर्व: 20 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम: अन्य प्लॉट, उत्तर: श्रीमती शिव कुमारी देवी का प्लॉट, दक्षिण: विक्रेता के प्लॉट का हिस्सा।			
2.	UP/LKN/LUKN/A000001420 1. श्री शिवांशु सक्सेना, पुत्र अनिल कुमार सक्सेना (कर्जदार) 2. श्रीमती रश्मि सक्सेना (सह-कर्जदार); पता- एसएस 522, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, सेक्टर- जी, एलडीए कॉलोनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत - 226012.	26/03/2024 और रु. 9,69,302/- / 10/03/2024 तक रु. 9,69,302/-	24-11-2025 भौतिक कब्जा	रु. 1488000/- / रु. 148800/- / रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरण: प्लॉट नंबर 8 और 9 का हिस्सा, जो खसरा नंबर 838, बसंत विहार, अलीनगर सुनेहरा, सरोजिनी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (पिन कोड 226005) में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट है। सब-रजिस्ट्रार: सरोजिनी नगर, लखनऊ। दिशा और सीमाएँ: पूर्व: 8 फुट सड़क, पश्चिम: विक्रेता का हिस्सा, उत्तर: अन्य जमीन, दक्षिण: 20 फुट सड़क।			

भुगतान का तरीका :- सभी भुगतान 'हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में लखनऊ में देय डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किए जाएंगे। खाते का विवरण इस प्रकार है: क) खाते का नामः - हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ख) बैंक का नामः - एचडीएफसी, आईएफएससी कोडः - HDFC0004989

भुगतान का तरीका :- सभी भुगतान 'हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में लखनऊ में देय डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किए जाएंगे। खाते का विवरण इस प्रकार है: क) खाते का नामः - हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ख) बैंक का नामः - एचडीएफसी, आईएफएससी कोडः - HDFC0004989

ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें: - 1. संपत्ति 'जैसा है जहां है', 'जो है यही है', 'जो कुछ भी है वहीं है' और 'आश्रय रहित' आधार पर बेची जा रही है। इस प्रकार बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. संपत्ति/परिसंपत्तियों का विवरण (जैसे ई-नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप) प्रतिभूत ऋणदाता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है और प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार और आयाम भिन्न हो सकते हैं। 3. प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा जारी ई-नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए एक आमंत्रण है और यह प्रतिभूत ऋणदाता की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिभूत ऋणदाता के साथ स्वामित्व विलेखों का अवलोकन करें और बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के बारे में स्वयं स्वतंत्र पूछताछ/ड्यू डिलिजेंस करें। 4. नीलामी/बोली केवल https://www.bankeauctions.com वेबसाइट के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड' के माध्यम से होगी या सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी होगी, जो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की पूरी प्रक्रिया की व्यवस्था और समन्वय करेगी। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत ऋणदाता/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, स्वयं के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 6. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन बोली के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर- 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा -122003, (सहायता लाइन नंबरः +91-124-4302000), ईमेलः Support@bankeauctions.com, मोबाइल नंबरः 7291981124/1125/1126), श्री मिथलेश कुमार, मोबाइल नंबरः 7080804466 ईमेलः Mithalesh.kumar@c1india.com, delhi@c1india.com से संपर्क कर सकते हैं। ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम https://www.bankeauctions.com तथा पर पहले से ही पंजीकृत करवाना चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद ही अपना पासवर्ड बदलें। 7. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को प्रतिदेय जमा धरोहर राशि (ईएमडी) अर्थात आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) जमा करनी होगी जो इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा 'हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से देय होगा। 8. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म (प्रारूप https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है) ईएमडी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्राधिकृत अधिकारी को संबोधित करके क्षेत्रीय कार्यालय संख्याः हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - दूसरी मंजिल, 212बी और 212सी, प्लॉट संख्या-टीसी/जी-2/2 और टीसी/जी-5/5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010 में जमा करना होगा। सीलबंद लिफाफे पर "ईनीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोली - ऋण खाता संख्या (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) में संपत्ति (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) के लिए" लिखा होना चाहिए। 9. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि को समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक अपनी बोलियां उद्धृत की हैं और प्रतिभूत लेनदार के साथ निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान किया है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से करेगा ताकि वे केवल उन बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथि और समय पर ऑनलाइन इंटर-से बोली / नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकें। 10. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली, योग्य बोलीदाताओं द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली से शुरू होगी। परस्पर बोली प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक बोली में 10 मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात यदि बोली अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगाई जाती है, तो ई-नीलामी का अंतिम समय प्रत्येक बार 10 मिनट के लिए स्वचालित रूप से बढ़ जाएगा। 11. एक बार लगाई गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से लगाई गई सभी बोलियां उसके द्वारा ही लगाई गई मानी जाएंगी। 12. ईनीलामी कार्यवाही के समापन के तुरंत बाद, उच्चतम बोलीदाता को अपने द्वारा लगाई गई अंतिम बोली राशि की पुष्टि ई-मेल के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय संख्याः हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - दूसरी मंजिल, 212बी और 212सी, प्लॉट संख्याः टीसी/जी2/2 और टीसी/जी-5/5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010 और सेवा प्रदाता दोनों को करनी होगी, ताकि उन्हें ई-नीलामी में सफल बोलीदाता घोषित किया जा सके। 13. सफल बोलीदाता की बोली राशि का 25% (ईएमडी सहित) उसके पक्ष में बोली लगाए जाने वाले दिन ही जमा करना होगा एवं शेष 75% बोली राशि का भुगतान बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक के माध्यम से हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में करना होगा। 14. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक होती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। 15. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली राशि के शेष को जमा करने के लिए लिखित रूप में अतिरिक्त समय दे सकता है। 16. सफल बोलीदाता को विक्रय मूल्य का 1% टीडीएस (विक्रय राशि में से) के रूप में भुगतान करना होगा और टीडीएस प्रमाणपत्र प्राधिकृत अधिकारी को जमा करना होगा। इसके बाद, अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के 15 कार्यदिवसों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य विस्तारित समय के भीतर, विक्रय मूल्य की पूरी राशि (टीडीएस के रूप में 1% कटौती के बाद) जमा करनी होगी, और ऐसा न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। 17. नगरपालिका/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई हो) और किसी भी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई हो) का भुगतान सफल बोलीदाता को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले करना होगा। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक बकाया को ध्यान में रखते हुए बोलियां लगाई जाएँगी। 18. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब संपूर्ण खरीद मूल्य/बोली राशि जमा कर दी जाएगी तथा सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। 19. परिवहन, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य आकस्मिक शुल्क के लिए लागू कानूनी शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 20. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिक्री की कार्यवाही को स्थगित/रद्द कर सकता है। यदि निर्धारित ई-नीलामी बिक्री बिक्री की निर्धारित तिथि से 30 दिन पहले किसी बाद की तिथि के लिए स्थगित की जाती है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 21. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है। 22. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ईनीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने के लिए बाध्य माना जाएगा। 23. अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से, ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com पर संपर्क करें। 24. यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर को उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में 30 (तीस) दिनों का नोटिस भी है।

दिनांक: 09.08.2026, स्थान: लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

विशेष निर्देश/चेतावनी: बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता, आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बैक-अप बिजली आपूर्ति और जो भी आवश्यक हो, कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the share certificates no(s) **57558**, for **310 shares bearing distinctive no(s) 3410996 to 3411305**, standing in the name(s) of **VIKASH KUMAR JAIN** in the books of m/s **RADICO KHAITAN LIMITED**, registered office at **Rampur Distillery Bareilly Road, Rampur, Uttar Pradesh- 244901**, have been lost and the advertiser has applied to the company for issue of duplicate share certificate(s) in lieu thereof any person(s) who has/have claim(s) on the said shares should lodge such claim(s) with the company's registrars and transfer agents viz Kfin Technologies Private Limited, selenium tower B, plot no: **31-32** Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,Seri Hyderabad – 500032, Telangana within 15 days from the date of this notice failing which the company will proceed to issue duplicate share certificate(s) in respect of the said shares.

Date: 09.08.2026 — Name(s)& address of the shareholder

Place: Gaya — **VIKASH KUMAR JAIN, 78 KA, CHOWK RAMANA ROAD, JAIN MANDIR, GAYA, PO: GAYA, DIST: GAYA, BIHAR-823001**

HDFC BANK

We understand your world

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा: सी-25, मगनान दास रोड, सेंट जेवियर स्कूल के सामने, सी-स्कीम, जयपुर-302001 CIN L65920MH1994PLC080618 Website: www.hdfcbank.com पंजीकृत कार्यालय: एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुम्बई-400020

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) में धारा 13(2) सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 (नियम) के नियम 3 के तहत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) में धारा 13(12) सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 (नियम) के नियम 3 (पूर्ववर्ती एचडीएफसी लिमिटेड का दिनांक 17 मार्च 2023 के आदेश के तहत माननीय एनसीएलटी-मुंबई द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के आधार पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) (एचडीएफसी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग पत्र धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणियों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों जिनका नाम निम्नलिखित तालिका में वर्णित है को निर्गमित किये गये जिसमें सम्बन्धित मांग पत्रों से 60 दिवस के भीतर निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित नोटिसों की राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कथित ऋणियों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात पते पर परिसरों पर से नोटिस चिपकाये जाने है। कथित सूचनाओं की प्रतियां अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है तथा उक्त ऋणियों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधि यदि चाहें तो सम्बन्धित प्रतियां किसी भी कार्यालय घण्टों के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त कर सकते है। उपरोक्त संदर्भ में ऋणियों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को यह सूचना दी जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिवस के भीतर एचडीएफसी लिमिटेड को यहां नीचे वर्णित उनके नामों के समक्ष वर्णित राशियां जो निम्न कॉलम नं की सम्बन्धित तिथियों से कुल भुगतान /वसूली की दिनांक तक अनुबन्ध दर पर भविष्य का ब्याज तथा आकस्मिक खर्चे, लागत, शुल्क आदि के साथ भुगतान करें। ऋणियों के बकाया पुनर्भुगतान हेतु निम्नलिखित प्रतिभूत आस्तियों को उक्त सम्बन्धित ऋणियों द्वारा एचडीएफसी के पक्ष में क्रमश: बंधक रखा गया है।

ऋणियों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों का अधिनियम की धारा 13 उपधारा (8) के प्रावधानों के संदर्भ में उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों के मोचन हेतु ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं. (a)	ऋणियों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों का नाम (b)	कुल बकाया राशि (c)	मांग सूचना की दिनांक (d)	प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरण (e)
1.	श्री शर्मा ओमप्रकाश मोती लाल श्रीमती शर्मिला पत्नी श्री शर्मा ओमप्रकाश खाता सं. 641593544, 648927249 लूट आईडी: 221929	रु. 5,89,034/-* 31-मार्च-26 तक	01-अगस्त-2026	यूनिट-502, गुलमोहर होम्स, एस.एन.ओ. गांव-सोढाना, जिला-रेवाड़ी, हरियाणा-123401; सीमाएं:- उत्तर: यूनिट नंबर 412 पश्चिम: यूनिट नंबर 501 पूर्व: यूनिट नंबर 503 दक्षिण: रोड
2.	श्री हुकम सिंह पुत्र चंदगी राम श्रीमती कमलेश पत्नी हुकम सिंह खाता सं. 626439887, 635677825, 626792782 आईडी: 221659	रु. 4,97,373/-* 31-मार्च-26 तक	01-अगस्त-2026	प्लॉट सिग्न कॉलोनी, खेवट नं. 1779, खतौनी नं. 2061, एमयू नंबर 98 किला नं. 4/3, रेवाड़ी, हरियाणा-123401 सीमाएं:- पूर्व- रास्ता का बना हुआ प्लॉट, पश्चिम- नरेश, उत्तर- अन्य, दक्षिण- रोड

* लागू दर से आगे का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागतें, शुल्क इत्यादि जो भुगतान / वसूली की तिथि तक व्यय किये गये।

यदि उक्त ऋणी एचडीएफसी को कथित भुगतान करने में असमर्थ रहते है तब एचडीएफसी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू होने वाले नियमों के पूर्णरूप से कथित ऋणियों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों की जोखिम पर लागतों तथा परिणामों हेतु उपरोक्त प्रतिभूत आस्तियों / अचल सम्पत्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा। ऋणी/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कथित प्रतिभूत आस्तियों / अचल सम्पत्तियों का विक्रय, पट्टे या अन्य किसी तरीके से बिना एचडीएफसी की पूर्व लिखित सहमति के स्थानान्तरण करने हेतु निषिद्ध है कोई भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों या बनाये गये नियमों का उल्लंघन या विरोध करता है तो वह अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध कारावास/सजा के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थान: रेवाड़ी दिनांक:- 09.08.2026 — वास्ते एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी

BCC FUBA INDIA LIMITED

BCC fuba Printed Circuits

CIN: L51395HP1985PLC012209

Regd. Office: 4 K.M., Swarghat Road, Nalagarh-174101, Distt. Solan (H.P.), Tel.: +91-011-45287223;

Website: www.bccfuba.com; Email id: delhi@bccfuba.com

NOTICE CONVENING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

Notice is hereby given that in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with other applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and SEBI, the Annual General Meeting ('AGM') of the members of the BCC Fuba India Limited ('Company') will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) on Tuesday, the 01st day of September, 2026 at 11:00 AM (IST), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. Members will be provided with the facility to attend the AGM through electronic platform provided by Central Depository Services (India) Limited ('CDSL').

The Notice convening the AGM along with Annual Report of the Company will be made available on the Company's website at www.bccfuba.com and on the website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and also on website of the CDSL at www.evotingindia.com. The dispatch of the Notice convening the AGM along with Annual Report of the Company by electronic mode only to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar and Transfer Agent /Depository Participants and physical copy of the same will be made available only on request letter which includes the weblink and exact path of the Annual Report of the Company to those shareholders who have not registered their e-mail address(es), with the Company/Registrar and Share Transfer Agent of the Company will be completed on 10th August, 2026.

Members who have not registered their e-mail address are requested to submit their request to MUFG Intime India Private Limited (Registrar and Transfer Agent) by submitting the prescribed forms as available on their website viz in.mpms.mufg.com or at Company's website at www.bccfuba.com Members holding shares in demat form are requested to register / update their e-mail address with their Depository Participant(s) directly. Members holding shares in physical form are requested to update their e-mail, PAN, Nomination, Contact details, Bank details and specimen signatures as per requirement under SEBI Master Circular Vide No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024.

The Company is also providing the facility to the members to exercise their right to vote through remote e-voting in respect of the resolution proposed as will be set-forth in the Notice through the remote e-voting facility provided by CDSL during the remote e-voting period. The detailed instructions regarding the remote e-voting shall be provided in the notes to the Notice of AGM.

Members holding shares in demat mode / physical form who have not registered their e-mail addresses with the Company/ Depository can obtain Notice of the AGM, Annual Report and / or login details for joining the AGM through VC/OAVM facility including remote e-voting, by providing a duly signed request letter with Name, DPID-CLID / Folio No., self-attested copy of PAN and etc., to priyadarshan.waila@in.mpms.mufg.com or cs@bccfuba.com.

By order of Board

For BCC Fuba India Limited

Sd/-

Abhinav Bhardwaj

(Director)

Date: 08.08.2026

Place: Delhi

आईएसएफ लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : खसरा नंबर 10/2, समालखा, नई दिल्ली, गुड़गांव रोड, सज्जन वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली, भारत- 110037

कॉर्पोरेट कार्यालय : टॉवर-205, दूसरी मंजिल, ए-100, सेक्टर-58 नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301

सीआईएन नंबर L74899DL1988PLC076648, ईमेल आईडी: info@isflimited.in, वेबसाइट: www.isflimited.in, फ़ोन नंबर +91 9625982325

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय नतीजों का विवरण

(लाख रुपये में)

विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2026	समाप्त वर्ष 31.03.2026	समाप्त तिमाही 30.06.2025
परिचालन से कुल आय	34.83	169.76	42.74
कर के बाद सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ	3.37	-166.36	0.38
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण मदों के बाद)	3.37	-166.36	0.38
इक्विटी शेयर कैपिटल (फेस वैल्यू 1/- रुपया प्रति शेयर)	95000000	95000000	95000000
पिछले लेखा वर्ष (31.03.2026) की तुलनपत्र के अनुसार रीवैल्यूएशन रिज़र्व को छोड़कर रिज़र्व		225.72	
1/- रुपया प्रति शेयर की आय पर शेयर (असाधारण मद से पहले) (सालाना नहीं)	0.0035	-0.18	0.00040
1/- रुपया प्रति शेयर की आय पर शेयर (असाधारण मद से पहले) 1/- प्रति (सालाना नहीं)	0.0035	-0.18	0.00040

टिप्पणी :

ऊपर दी गई जानकारी सेबी(लिस्टिंग और अन्य डिस्क्लोज़र अवश्यकताएं) रेगुलेशन, 2015 के रेगुलेशन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट https://isflimited.in/shareholding-pattern.html पर उपलब्ध है।

1) ऊपर दिए गए परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति ने की है और 08-08-2026 को हुई बैठक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन्हें मंजूरी दी और रिकॉर्ड पर लिया।

2) आईएनडी-एएस 108 में परिभाषित सेगमेंट रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है क्योंकि कंपनी का पूरा कामकाज केवल एक सेगमेंट से संबंधित है।

3) जहां ज़रूरी समझा गया, वहां आंकड़ों को फिर से समूहित /व्यवस्थित किया गया है।

4) ऊपर दी गई अवधि के लिए कोई अन्य व्यापक आय नहीं है।

आईएसएफ लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षर/-

पूजा अरोड़ा मेहरोत्रा

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

एम.सं.A65438

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 08-08-2026

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

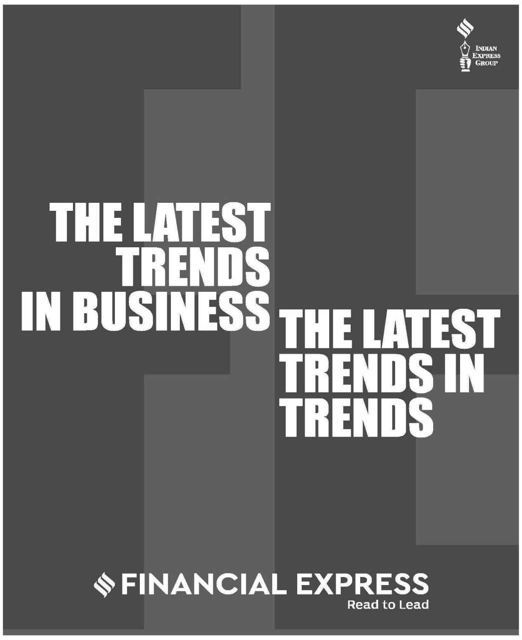

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA

पंजीकृत कार्यालय : 11वाँ तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई- 400013

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्तियों हेतु)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत एक मांग सूचना दिनांकित निम्न वर्णितानुसार निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं को सूचना में अंकित राशि का, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्ता निर्धारित देयराशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहां इसमें निम्न संदर्भित एक राशि तथा निम्नांकित तिथि से इस राशि पर आकलित ब्याज एवं दांडिक ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि हेतु टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपतियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता संख्या	दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	माँग सूचना की राशि एवं तिथि	अधिग्रहण की तिथि
TCHHL0362000100094703 तथा TCHIN0359000100094918 तथा TCHIN0399000100159139 तथा TCHIN0351000100270215	श्री घनश्याम वर्मा उपनाम घनश्यान पुत्र श्री शिव चरण वर्मा (ऋणकर्ता) तथा श्रीमती रुबी वर्मा पत्नी श्री घनश्याम वर्मा (सह-ऋणकर्ता)	08-05-2026 के अनुसार, रु. 33,02,588/- (रुपये तैंतिस लाख दो हजार पाँच सौ अट्ठासी मात्र)	05-08-2026
प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण :- निर्मित तीसरी मंजिल का समस्त भूखंड तथा भाग, छत के अधिकार सहित, जिसका क्षेत्रफल 66.88 वर्ग मीटर अर्थात् 80 वर्ग गज है, जो खसरा संख्या 384 मिन. में से संपत्ति संख्या बी-77 का भाग है, जो ग्राम घोंडा गुजरान खादर के क्षेत्र में, बी-ब्लॉक की आबादी, गली संख्या 6, भजनपुरा, इलाका शहादरा, दिल्ली-110053 में स्थित है, बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाएं :- पूर्व : अन्य की संपत्ति, पश्चिम : संपत्ति संख्या बी-78, उत्तर : 15 फीट चौड़ी गली, दक्षिण : संपत्ति संख्या बी-77 का भाग।			
10278486 एवं 10300467 एवं TCHIN039900 0100074178	श्रीमती वीणा चुघ पत्नी श्री राकेश कुमार एवं श्री राकेश कुमार पुत्र श्री सतनाम दास एवं श्री कवल किशोर पुत्र श्री सतनाम दास एवं जय दुर्गे इंडस्ट्रीज (इसके भागीदारों के माध्यम से)	11/05/2026 के अनुसार, रु. 54,91,873/- (रुपये चौव्वन लाख इक्यानबे हजार आठ सौ तिहत्तर मात्र)	05-08-2026
प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण :- आवासीय संपत्ति संख्या 53 का संपूर्ण भूतल (छत के अधिकार / टैरेस अधिकारों के बिना) के समस्त भाग तथा अंश, जिसका क्षेत्रफल 48.00 वर्ग मीटर है, जो रोहिणी आवासीय योजना, ब्लॉक एवं पॉकेट जी - 29, सेक्टर - 03, रोहिणी, दिल्ली 110085 के लेआउट प्लान में स्थित है, बिक्री विलेख में उल्लिखितानुसार सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाएं :- पूर्व : प्लॉट नं. 52, पश्चिम : प्लॉट नं. 54, उत्तर : प्लॉट नं. 80, दक्षिण : खुला क्षेत्र। तथा आवासीय संपत्ति संख्या 54 का संपूर्ण भूतल (छत के अधिकार / टैरेस अधिकारों के बिना) के समस्त भाग तथा अंश, जिसका क्षेत्रफल 48.00 वर्ग मीटर है, जो रोहिणी आवासीय योजना, ब्लॉक एवं पॉकेट जी - 29, सेक्टर - 03, रोहिणी, दिल्ली 110085 के लेआउट प्लान में स्थित है, बिक्री विलेख में उल्लिखितानुसार सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाएं :- पूर्व : प्लॉट नं. 53, पश्चिम : प्लॉट नं. 55, उत्तर : प्लॉट नं. 79, दक्षिण : खुला क्षेत्र।			

दिनांक : 09-08-2026 — हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : दिल्ली — कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड